मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 444] भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 सितम्बर 2010—भाद्र 10, शक 1932

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2010

क्र. एफ-1-7-2009-बाईस-पं-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 7-क की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति (गठन, कारबार संचालन तथा बैठक) नियम, 2010 है.

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन गठित ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति;

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जो इन नियमों में प्रयुक्त की गई हैं किन्तु परिभाषित नहीं की गई हैं, का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है.

3. **समिति का गठन.**—(1) ग्राम सभा की एक तदर्थ समिति होगी जो ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के नाम से जानी जाएगी.

(2) तदर्थ समिति में न्यूनतम बारह एवं अधिकतम बीस सदस्य विषय के संबंध में हित रखने वाले होंगे जिनमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत महिला सदस्य रहेंगी.

(3) कोई व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो तथा विषय के संबंध में हित रखता हो, इस समिति में सदस्य रह सकेगा.

(4) समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कम से कम एक सदस्य होगा.

(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से कम से कम एक महिला नामनिर्दिष्ट होगी.

(6) समिति में ग्राम की सभी महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम., मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष तथा क्षेत्र का हैण्ड पम्प मेकेनिक/सहायक मेकेनिक समिति के पदेन सदस्य होंगे.

(7) समिति के सदस्यों को पारस्परिक सहमति से ग्राम सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(8) महिला सदस्य समिति की सभापति होगी तथा समिति के खाते के लिए पृथक् कोषाध्यक्ष होगी. लोक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कार्यक्रमों के लिए कोषाध्यक्ष आशा कार्यकर्ता होगी. सभापति और कोषाध्यक्ष का नामांकन समिति के सदस्यों द्वारा आम सहमति से किया जाएगा.

4. **समिति का सचिव.**—समिति के समस्त कृत्य, समिति के सचिव द्वारा सम्पादित किए जाएंगे. समिति का प्रबंध निम्नानुसार होगा:—

(एक) ग्राम पंचायत का सचिव, समिति का सचिव होगा, स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अधीन आशा कार्यकर्ता, सहायक सचिव होगी जो समिति के सचिव को प्रशासनिक कार्यों में सहायता करेगी और सचिव द्वारा उसकी अनुपस्थिति के दौरान उनको सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा/करेगी.

(दो) यदि ग्राम में एक से अधिक आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता हैं तो व्यक्ति जो आंगनवाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता में से उच्चतर अर्हता रखते हों, सहायक सचिव होगा, समान शैक्षणिक अर्हता होने की दशा में कम आयु कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा.

5. **समिति का लेखा.**—(1) समिति के लेखे, निम्नलिखित रीति में संधारित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(क) समिति द्वारा संचालित किए जाने वाले तीन योजनावार खाते संधारित किए जाएंगे, समिति का प्रथम खाता "जल स्वच्छता अभियान खाता" कहलाएगा, जिसमें जल तथा स्वच्छता की प्राप्तियां राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम से संबंधित निधियां जमा की जाएंगी. यह खाता, समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा ग्राम पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जाएगा.

(ख) समिति का द्वितीय खाता "स्वास्थ्य निधि खाता" कहलाएगा, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित निधियां जमा की जाएंगी. यह खाता भी अध्यक्ष (चेयरपर्सन) तथा आशा कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जाएगा. ग्राम में एक से अधिक आशा कार्यकर्ता होने की दशा में ऐसी आशा कार्यकर्ता जो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता रखती है, द्वारा खाता संचालित किया जाएगा या समान अर्हता की दशा में, उक्त खाते को संचालित करने हेतु कम आयु के कार्यकर्ता का चयन किया जाएगा;

(ग) समिति का तृतीय खाता "पोषाहार खाता" कहलाएगा तथा यह खाता समिति के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा, ग्राम में एक से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने की दशा में, ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो उच्चतर शैक्षणिक अर्हता रखती हो खाता संचालित करेगी या समान शैक्षणिक अर्हता होने की दशा में, उनमें से कम आयु का व्यक्ति उक्त खाते के संयुक्त संचालन हेतु हकदार होगा.

(2) समिति, समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अधीन उसके द्वारा प्राप्त निधियां तथा महिला एवं बाल विकास विभाग से भी प्राप्त निधियां पृथक् रूप से खाते में जमा करेगी और यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक खाते से रकम/निधि के संवितरण के पूर्व बैठक में, समिति का अनुमोदन/मंजूरी अभिप्राप्त करें.

6. **केश (रोकड़) रजिस्टर**.—समिति, योजनावार तीन केश रजिस्टर संधारित करेगी. प्रथम केश रजिस्टर, स्वच्छता अभियान तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन सम्पूर्ण संव्यवहार हेतु संधारित किया जाएगा. द्वितीय केश रजिस्टर स्वास्थ्य निधि हेतु तथा तृतीय महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यक्रम की निधियों के लिए संधारित किया जाएगा और योजनावार निधियों की प्रविष्टियां तथा योजना के लिए संवितरित निधियां, तारीख, रकम तथा उसकी समस्त आवश्यक प्रविष्टियां सचिव, ग्राम पंचायत, आशा कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की जाएगी और अभिलेख दो प्रतियों में तैयार किए जाएंगे तथा एक प्रति ग्राम सभा के सचिव द्वारा रखी जाएगी.

7. **समिति की बैठक**.—(1) समिति की बैठक एक माह में एक बार अनिवार्य रूप से रखी जाएगी, तथापि जब और जहां अपेक्षित हो, कोई विशेष बैठक रखी जा सकेगी.

(2) बैठक की सूचना और कार्यसूची समिति के सचिव के हस्ताक्षर के अधीन जारी की जाएगी.

(3) बैठक की तारीख, समय, कार्यसूची तथा स्थान अध्यक्ष (चेयरपर्सन) के परामर्श से सचिव द्वारा विनिश्चित की जाएगी.

(4) बैठक में समिति की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों के आधे से होगी, यदि गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जा सकेगी तथा स्थगित बैठक पुनः करने के प्रयोजन हेतु गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी.

8. **कार्यवृत रजिस्टर**.—(1) समिति में कार्यवृत रजिस्टर होगा. समिति के सचिव द्वारा बैठक में लिए गए विनिश्चय, उक्त रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे. उक्त रजिस्टर पर ऐसे सदस्य हस्ताक्षर करेंगे जो बैठक में उपस्थित हों तथा उसके तत्पश्चात् अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और सचिव द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे.

(2) कार्यवृत हिन्दी में अभिलिखित किए जाएंगे तथा सचिव द्वारा बैठक का कार्यवृत ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर पंचायत, स्थानीय आंगनवाड़ी केन्द्र तथा उप-स्वास्थ्य केन्द्र को भी परिचालित किए जाएंगे.

9. **समिति की अवधि**.—(1) समिति की अवधि ऐसी होगी जैसी कि ग्राम पंचायत की है. नई ग्राम पंचायत के गठन के पश्चात् ग्राम सभा, समिति के सदस्यों को पुर्ननामनिर्दिष्ट करेगी.

(2) यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता कम से कम पचास प्रतिशत सदस्यों के अनुमोदन के पश्चात् समाप्त कर दी जाएगी. ग्राम पंचायत, अर्ह सदस्य के नामनिर्देशन के द्वारा रिक्ति भरेगी.

(3) जब समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेजजल कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम अभियान सभी पहलुओं से पूरे हो जाते हैं तो संबंधित तदर्थ समिति स्वतः ही भंग हो जाएगी.

10. **शक्तियां, कृत्य तथा समिति का उत्तरदायित्व**.—समिति को शक्तियों का प्रयोग करने तथा कार्यों का पुनर्विलोकन, पर्यवेक्षण, मानीटर तथा समन्वयन की भूमि का और उसे सौंपे गये दायित्वों जैसे समग्र स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा पोषाहार कार्यक्रम का निर्वहन करने हेतु सशक्त किया गया है. संबंधित योजना विभाग, योजना के कार्यान्वयन भूमिका तथा समिति के उत्तरदायित्वों के लिए पृथक् तथा संयुक्त रूप से प्रशासनिक निदेश जारी करेंगे.

11. **प्रशिक्षण**.—समिति से संबंधित समस्त सदस्यों को उनकी भूमिका, कृत्य तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा. ऐसे प्रशिक्षण के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग एक संयुक्त प्रशिक्षण नियमावली बनाएंगे.

12. **संपरीक्षा तथा लेखा.**—योजनावार संपरीक्षा तथा आय और व्यय तथा वित्त से संबंधित अभिलेखों की संपरीक्षा संबंधित विभाग द्वारा उनके संपरीक्षा दल/चार्टेड एकाउन्टेंट के माध्यम से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर की जाएगी.

13. **विविध.**—(1) ग्राम पंचायत सचिव, समिति के कार्य संचालन में सहयोग तथा मार्ग दर्शन करेगा.

(2) समिति, ग्राम पंचायत के सरपंच, ख्यातिप्राप्त गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) स्वयंसेवी समूह (एस.एच.जी.) अध्यक्षों/सदस्यों को विशेष आमंत्रिती के रूप में समिति की बैठक में आमंत्रित कर सकेगी.

(3) समिति द्वारा समग्र स्वच्छता अभियान, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पी.एच.ई.) तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (आर.ई.एस.) में कार्यरत तकनीकी कार्मिकों से तकनीकी मार्गदर्शन लिया जा सकेगा और उनके सुझाव हिन्दी में अभिप्राप्त किए जाएंगे. सुझाव, यदि कोई हो, अध्यक्ष (चेयरपर्सन) को संबोधित किए जाएंगे.

(4) समस्त प्राक्कलन, समिति तथा किसी भी कार्यकारी अभिकरण को हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किए जाएंगे.

(5) समिति की बैठक में लिए गए विनिश्चय के विरुद्ध अपील, जनपद स्तर की ग्राम सभा अपील समिति को प्रस्तुत की जा सकेगी.

(6) समिति, प्रारंभिक अवस्था में ग्राम सभा की तदर्थ समिति के रूप में गठित की जा रही है किन्तु समिति, यथाशक्यशीघ्र, लोकहित में एक स्थायी समिति के रूप में गठित की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2010

पृ. क्र. एफ-1-7-2009-बाईस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-7-2009-बाईस-पं.-2, दिनांक 1 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला, उपसचिव.

Bhopal, the 1st September 2010

No. F. 1-7-2009-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (4) of Section 7-A of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely:—

RULES

1. **Short title**.—These rules may be called the Madhya Pradesh Gram Sabha Swasth Gram Tadarth Samiti (Gathan, Karbar Sanchalan Tatha Baithak) Niyam, 2010.

2. **Definitions**.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Panchayat Raj Evam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994);

(b) "Committee" means the Gram Sabha Swasth Gram Tadarth Samiti constituted under sub-rule (1) of rule 3;

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. **Constitution of the Committee.**—(1) There shall be constituted a adhoc committee of Gram Sabha to be called as Gram Sabha Swasth Gram Tadarth Samiti.

(2) The Committee shall have minimum 12 members and maximum 20 members having interest in the subject, out of which 50% shall be the women members.

(3) A person whose name is entered in the voter list of the Gram Panchayat and has interest in the subject may be a member of the committee.

(4) There shall be at least one member from the Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the Committee.

(5) At least one woman member shall be nominated from the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(6) All the women Panchas of the village, Asha Worker, Local Anganwadi Workers, ANM of the Sub-Medical Centre, Chairperson of the Motherhood helpage Committee, Chairperson of Self Help Group (SHG) responsible for mid-day meal and hand pump mechanic/assistant mechanic shall be the ex-officiao memebers of the Committee.

(7) The members of the Committee shall be nominated by Gram Sabha by mutual consent.

(8) A woman member shall be the Chairperson of the Committee and there shall be separate treasurer for account of Committee and Asha Worker shall be the treasurer for activities relating to the Public Health Department. The Chairperson and treasurer shall be nominated by the members of the Committee by general consensus.

4. **Secretary of the Committee.**—All functions of the Committee shall be performed by the Secretary of the Committee. The management of the Committee shall be as under:—

(i) The Secretary of the Gram Panchayat shall be the Secretary of the Committee, the Anganwadi worker of the local Anganwadi centre and the Asha Worker under National Rural Health Mission (NRHM) shall be the Assistant Secretary who shall assist the Secretary of the Committee in the administrative work and shall discharge the function assigned to them by the Secretary during his/her absence.

(ii) If there is more than one Anganwadi and Asha Worker working in the village, then the individual who possess higher qualification amongst the Anganwadi and Asha Worker, shall be the Assistant Secretary in case of equivalent education qualification, the younger in the age shall be selected.

5. **Account of the Committee.**—(1) The accounts of the Committee shall be maintained in the following manner, namely:—

(a) There shall be maintained three scheme wise accounts to be operated by the Committee, the first account of the Committee shall be called as "Water and Sanitation Campaign Account", in which the receipts of water and sanitation, National Rural Drinking Water Programme and related funds shall be deposited in it. This account shall be operated by the joint signature of the Chairperson of the Committee and the Secretary of the Gram Panchayat;

(b) The second account of the Committee shall be called as "Health Fund Account", in which the funds relating to National Rural Health Mission shall be deposited. This account shall also be operated by the joint signature of Chairperson and Asha workers. In case of more than one Asha workers in the village, the account shall be operated by such Asha worker who possesses higher educational qualification or in case of equal qualification, the individual younger in age shall be selected to operate the said account;

(c) The third account of the Committee shall be called "Nutrition Account" and this account shall be jointly operated by the Chairperson of the Committee and the Anganwadi workers, in case of having more than one Anganwadi workers in the Village, the account shall be operated by such Anganwadi worker who possesses higher educational qualification or in case of equal educational qualification, the individual younger in age amongst them shall be entitled for the joint operation of the said account.

(2) The Committee shall deposit the funds received by it under the Total Sanitation Campaign, National Rural Drinking Programme, National Rural Health Mission and also from the Women and Child Development Department in the accounts separately and before disbursing the amounts/fund from each account, it shall be compulsory to obtain the approval/sanitation of the Committee in the meeting.

6. **Cash Register.**—The Committee shall maintain scheme-wise three cash registers. First cash register to be maintained for entire transactions under the Sanitation Campaign and National Rural Drinking Water Programme. The second cash register to be maintained for Health Fund and the third is meant for Woman and Child Development Department funds of Anganwadi Programme and the entries of the scheme-wise funds and the funds disbursed for the schemes, the date, amount and all necessary entries thereof shall be made by the Secretary, Gram Panchayat, Asha Worker and Anganwadi workers and the records shall be prepared in two copies and one copy shall be retained by the Secretary of the Gram Sabha.

7. **Meetings of the Committee.**—(1) The meetings of the Committee shall compulsorily be held once in a month, however a special meeting may be called as and when required.

(2) The notice and agenda of the meeting shall be issued under the signature of the Secretary of the Committee.

(3) The date, time, agenda and venue of the meeting shall be decided by the Secretary in consultation with Chairperson.

(4) The quorum of the Committee in the meeting shall be half of its total members, if the quorum is not fulfilled then the meeting may be adjourned for one hour and for the purpose of adjourned meeting again the quorum shall not be required.

8. **Minutes Register.**—(1) There shall be one Minutes Register in the Committee. The decision taken in the meetings shall be entered by the Secretary of the Committee in the said register. Such members shall sign in the said register who are present in the meeting and thereafter counter signatures shall be made by the Chairperson and Secretary of the Committee.

(2) The minutes shall be recorded in Hindi and the minutes of the meeting shall be circulated by the Secretary to the Gram Panchayat, Block level Panchayat local Anganwadi centre and Sub-Health Centre also.

9. **Terms of the Committee.**—(1) The terms of the Committee shall be the same as of Gram Panchayat. After new constitution of the Gram Panchayat the Gram Sabha will re-nominate the members of the Committee.

(2) If any member remains absent for consecutively three meetings, then his membership shall be terminated after approval of at least 50%. percent members. Gram Panchayat shall fill the vacancy by way of nomination of the eligible member.

(3) When the campaign/programme of Total Sanitation Campaign, National Rural Drinking Water Programme, Health Mission and Nutrition programme are completed in all respect, then the concerned Adhoc Committee shall be dissolved automatically.

10. **Powers, functions and responsibilities of the Committee.**—The Committee is empowered to exercise the powers and perform the functions of review, supervision, monitoring and co-ordination of the role and responsibilities assigned to it, like Total Sanitation Campaign, National Rural Drinking Water Programme, National Rural Health Mission and nutrition programme. Concerned scheme departments shall separately and jointly issue administrative directives for implementation of scheme, role and responsibilities of the Committee.

11. **Training.**—All members relating to Committee shall be imparted training in respect of their role, functions and responsibilities. The Panchayat and Rural Development Department, Public Health and Family Welfare Department, Public Health Engineering Department and Women and Child Development Department shall develop a joint training manual for such training.

12. **Audits and accounts.**—The scheme wise audit and accounts of the income and expenditure and documents relating to finance shall be audited by the concerned Departments through their Audit team/chartered accountant at the end of every financial year.

13. **Miscellaneous.**—(1) The Gram Panchayat Secretary shall support in the working and guidance of the Committee.

(2) The Committee may invite the Sarpanch of the Gram Panchayat reputed Non Government Organization (NGOs), Self Help Group (SHG), Chairpersons/Members as special invites in the Committee meetings.

(3) Technical guidance may be sought from the technical personnel in working in Total Sanitation Campaign, Public Health Engineering (PHE) and Rural Engineering Service (RES) by the Committee and their suggestion shall be obtained in Hindi. The suggestions, if any, shall be addressed to the Chairperson.

(4) All estimates shall be submitted to the Committee and to any working agency in Hindi language.

(5) The appeal against the decision taken in the meeting of the Committee may be preferred at Janpad level Gram Sabha Appeal Committee.

(6) The Committee is being constituted as a Adhoc Committee of the Gram Sabha in the initial stage but the Committee shall be constituted as a Standing Committee in the public interest as soon as possible.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
URMILA SURENDRA SHUKLA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.